45766 - उसने दूसरे की तरफ से हज्ज किया तो क्या उसे हज्ज की फज़ीलतें प्राप्त होंगी ?

प्रश्न

यदि मनुष्य किसी दूसरे की तरफ से हज्ज करे, तो क्या उसे वह अज्र व सवाब प्राप्त होगा जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन में उल्लेख किया है: "जिस व्यक्ति ने हज्ज किया और (उसके दौरान) संभोग (और कामुक वार्तालाप) तथा गुनाह और नाफरमानी (पाप एंव अवज्ञा) नहीं किया तो वह उस दिन के समान निर्दोष हो जाता है जिस दिन कि उसकी माँ ने उसे जना था।" ?

विस्तृत उत्तर

"इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि: क्या इस आदमी ने अपनी तरफ से हज्ज किया है या अपने अलावा किसी दूसरे की तरफ से ?

इसका उत्तर यह है कि:

निःसंदेह उसने अपने अलावा किसी दूसरे की तरफ से हज्ज किया है,अपनी तरफ से हज्ज नहीं किया है।अतः उसे वह अज्र नहीं मिलेगा जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उल्लेख किया है;कयोंकि उसने अपने अलावा दूसरे की तरफ से हज्ज किया है। किंतु इन-शा अल्लाह यदि उसने अपने भाई को लाभ पहुँचाने और उसकी आवश्यकता को पूरी करने का इरादा किया है तो अल्लाह तआला उसे पुण्य देगा।"